

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद 6, 1941

No. 302]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

### (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

फा. सं. 10/क्यूए/एफए परीक्षा/एफएसएसएआई/2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के नियम 2.1.4 के उप-नियम 1 (ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना संख्या 10/क्यूए/एफए परीक्षा/ एफएसएसएआई/2016 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हो या करने का लोप किया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत खाद्य विश्लेषक के पद के लिए उपयुक्त तथा अर्हता प्राप्त आवेदकों पर विचार करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों को लेकर एक बोर्ड का गठन एतद्वारा करता है, अर्थात:—

- (I) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अध्यक्ष
- (II) कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सदस्य
- (III) सलाहकार (विनियम)/ प्रधान (विनियम), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सदस्य
- (IV) सलाहकार (गुणवत्ता आश्वासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सदस्य सचिव
- (V) मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी/प्रधान(सूचना प्रौद्योगिकी), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण सदस्य
- (VI) निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद- सदस्य
- (VII) डीन, स्नातकोत्तर अध्ययन, राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन, कुंण्डिली- सदस्य
- (VIII) मुख्य वैज्ञानिक और प्रधान, एफएसएक्यूसीएल(निदेशक आरएफएल) केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर सदस्य
- (IX) प्रोफ. एवं डीन(अनुसंधान), खाद्य विज्ञान और तकनीकी विभाग, पॉण्डिचेरी विश्वविद्यालय सदस्य

- 2. यह बोर्ड इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ अथवा अधिकारी को, जैसा उचित समझे, सहयोजित कर सकता है।
- 3. यह बोर्ड अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा तथा कार्य संव्यवहार इसके द्वारा होंगे।
- 4. किसी अड़चन / विवाद की स्थिति में, बोर्ड के अध्ययक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- केवल रिक्त पदों के विद्यमान होने या बोर्ड के गठन में किसी भी दोष के आधार पर बोर्ड की किसी कार्रवाई या कार्यवाही पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-Ⅲ/4/असा./190/19]

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

F. No. 10/QA/FA Exam/FSSAI/2016.—In exercise of the powers conferred under the sub-rule 1(ii) of rule 2.1.4 of the Food Safety and Standards Rule, 2011, and in supersession of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) notification number F.No.10/QA/FA Exam/FSSAI 2016 dated 18th April, 2017, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Food Safety and Standards Authority of India hereby appoints a board comprising of the following members for the purpose of considering the candidates suitable and qualified to hold the post of Food Analyst under the provisions of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and the rules made thereunder, namely:-

- i. Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India Chairman
- ii. Executive Director, Food Safety and Standards Authority of India Member
- iii. Advisor (Regulations)/Head(Regulations), Food Safety and Standards Authority of India Member
- iv. Advisor (Quality Assurance), Food Safety and Standards Authority of India Member Secretary
- v. Chief Technology Officer/ Head (IT), Food Safety and Standards Authority of India Member
- vi. Director, National Food Laboratory, Ghaziabad-Member
- vii. Dean, Post Graduate Studies, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management, Kundli Member
- viii. Chief Scientist and Head, FSAQCL (Director RFL) Central Food Technological Research Institute, Mysuru- Member
- ix. Prof. & Dean (Research), Department of Food Science & Technology, Pondicherry University Member
- 2. The Board may co-opt experts or officers for such purpose as it deems fit.
- 3. This board shall regulate its own procedure and the conduct of business to be transacted by it.
- 4. In case of any difficulty/dispute, the decision of the chairman of the board shall be final.
- 5. No act of proceeding of the board shall be called in questions on the ground merely of existence of any vacancy in as or any defect in the constitution of the Board.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./190/19]